

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त
एल-ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. स्टेट, नई दिल्ली।


स. फा. 10(56)96-97/आई. एम. एफ. एल./आब./ पार्ट फाइल/ 356-376 दिनांक 05/04/17

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 52 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विधान सभा AC-27 राजौरी गार्डन, में उप-चुनाव होने के कारण निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जोकि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6 एफजी, एल- 6एफई, एल- 7, एल- 7एफजी, एल- 7एफई, एल- 8, एल- 9, एल- 9ए, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल- 23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ — एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10 और पी-13 लाइसेंसधारियों और अफीम की दुकानों AC-27, राजौरी गार्डन स्थित दुकानों पर लागू होंगे।

1. दिनांक 07.04.2017 (शुक्रवार) संध्याकाल 06:00PM से दिनांक 09.04.2017 (रविवार) से संध्याकाल 06:00PM
2. दिनांक 13.04.2017 (बृहस्पतिवार) संध्याकाल (पूर्ण दिवस) मतगणना दिवस
3. पुनर्मतदान दिनांक यदि कोई है तो

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 26.12.2016 और 08.02.2017 की अधिसूचना संख्या स. फा. 10(56)96-97/आई. एम. एफ. एल./आब./ पार्ट फाइल/ दिनांक के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।


संजय कुमार)
आबकारी आयुक्त


Cont...2

स. फा. 10(56)96-97/आई. एम. एफ. एल./आब./ पार्ट फाइल/

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय उपराज्यपाल के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
5. सचिव वित्त मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. सचिव भारतीय निर्वाचन आयोग
7. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली लेटर न. CEO/COE/102(10)/2017/12388-96 दिनांक 24.03.2017.
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली) राजपत्र के प्रकाशनार्थ
10. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
11. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12. उपायुक्त (कर/आबकर), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
13. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने नियंत्रण के समस्त लाइसेंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं।
14. समस्त आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को सख्ती से पालन हेतु।
15. प्रबन्ध निदेशक, डी. एस. आई. डी. सी./डी. टी. टी. डी. सी. /डी. एस. सी. एस. सी. प्रशासक एवं डी. सी. सी. डब्ल्यू.एस.
16. सूचना पट
17. सभी लाइसेंसी
18. गार्ड फाइल



(संजय कुमार)

आबकारी आयुक्त